आदेश से रीडर

12.7.17

कि० शिवराम

पत्रावली कोर्ट कैम्प सांगानेर पर पेश। वादी स० उपस्थित। संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम सांगानेर की आराजी नम्बर 268, 269, 270, 2286/26। रकबा 6.17 किस्ता 262, 263, 264, 265, 266 267/

में जारी हुए

कुल किता 6 कुल रकबा 8.14 बिस्वा भूमि स्थित है।

खाता संख्या 226 में वर्णित आराजी नम्बर 265, 269, 270, 2286/261 कुल किता 4 कुल रकबा 6.17 बिस्वा को पुराने साबिक, कुल आराजी नम्बर 365, 366/1 थे जिनका सेटलमेंट होने के बाद उनके नये नम्बर कायम किये गये जो गिरी पिता मोडगिरी गुसाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी बाद में कायम नम्बर जिन्हे बस्तुर गिरी s/o मोडगिरी के वारीसान के नाम पर अंकित करने के बजाय जीतुगिरी के वारीसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया की मौके पर कब्जा बस्तुर गिरी के वारीसान प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्रीमती राधा देवी बस्तुर व भैरु गिरी s/o मोडगिरी गुसाई के नाम पर अंकित है। इसी प्रकार वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कुल भूमि खाता संख्या 308 की आराजी नम्बर 262, 263, 264, 265, 266, 267 कुल किता 06 कुल रकबा 8.14 बिस्वा स्थित है, जिस के साबिक आराजी नम्बर 366 सी थे जिसके सेटलमेंट होने के पश्चात नये नम्बर उक्त हुए साबिक आराजी नम्बर 366 सी भूरगिरी, हरजगिरी, जीतुगिरी s/o शंकर गिरी के नाम दर्ज थी। जो वादीगण के प्रवंजा थे यह भूमि वादीगण के हक के हिस्से में आई। वादीगण मौके पर काबीज है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2

के नाम पर अंकित है। चूँकि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है. जो कि पास-पास में आपस में सट्टी हुई है तथा जिसकी किस्म एवं ही पेसे पर एक ही श्रेणी की उपजाऊ है किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से वादीगण की भूमि को प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया व प्रतिवादीगण की भूमि को वादीगण के नाम अंकित कर दिया है।

अतः वादीगण साबिक आराजी नम्बर 366 मी. वर्तमान आराजी नम्बर 262, 263, 264, 265, 266, 267 किता 06 कुल रकबा 8.15 का वादीगण को खातेदार घोषित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का इन्द्राज कराने व इसी प्रकार प्रतिवादीगण की साबिक आराजी नम्बर 365, 366/1 के वर्तमान कृषि आराजी नम्बर 268, 269, 270, 2286/261 कुल किता 4 रकबा 6.17 का खातेदार काश्तकार घोषित कर रेकार्ड में वादीगण का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादीगण का दर्ज किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तह सीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 158 दिनांक 15.1.13 के अनुसार उक्त आराजी के ~~बदल जाकर~~ ~~हुए~~ मौका पर्चों का अवलोकन किया गया।

में जारी

(आदेश)

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार भीलवाड़ा ग्राम सांगना की आ.न. 262, 263, 264, 265, 266, 267 किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है. प्रतिवादी स.1व 2 का नाम उक्त आराजी नम्बर से विलोपित किया जावे। इन आराजी नम्बर 268, 269, 270, 2286/261 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी स.1व 2 को ~~[illegible]~~ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त आराजी से वादीगण का नाम विलोपित किया जावे। राजस्व रेकार्ड में दरज लगाया जावे।

खर्चा बारदात अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2017 को कोर्ट कैम्प सांगना पर सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
कैम्प हेड सांगना

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. श्री शिवगिरी S/o स्व. जीतु गिरी जाति गुसाई सांगना
2. श्रीमती जमनी बेवा

बनाम ,, वादीगण

1- श्रीमती राधा बेवा बालु गिरी जाति गुसाई सांगना
2. श्री भेरुगिरी S/o मेघ गिरी जाति गुसाई —,,—
3. तहसीलदार भीलवाड़ा
4. उप पंजीयक, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत– 88, 89 व 183 रा.टि.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 82/08
निर्णय दिनांक :– 12.7.17

वादी की ओर से उपस्थित की व प्रतिवादी की ओर से —— उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा ग्राम सांगना की अ.न. 262, 263, 264, 265, 266, 267 किता 06 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम उक्त आराजी नम्बर से विलोपित किया जावे। एवं आराजी नम्बर 268, 269, 270, 2286/261 कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी सं० 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी में वादीगण का नाम विलोपित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 12.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner